Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.
(6)	(7)
Between 18 and 27 years. (Relaxable for Government servants up to the age of 40 years in accordance with the instructions or order issued by the Central Government). **Note 1 :** The crucial date for determining the ag- limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep). **Note 2:** In case of Recruitment made through the Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date up to which the Employment Exchange is asked to submit the names.	Matriculate from a recognised Board with Certificate from Industrial Training Institute in the trade of Fitter or Diesel Mechanic or Motor Mechanic or Tractor Mechanic. **Note :** Qualification is relaxable at the discretion of the Central Government / Staff Selection Commission, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified.

Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various method.
(8)	(9)	(10)
Not applicable	Two years	Direct recruitment

In case of recruitment by promotion / deputation / absorption grade from which promotion / deputation / absorption is to be made.	If Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Not applicable	**Group 'C' Departmental Confirmation Committee consisting of:-** 1. Director (Administration) Central Ground Water Board – Chairman 2. Executive Engineer, Central Ground Water Board – Member 3. Administrative Officer, Central Ground Water Board – Member	Not applicable

[F. No. 23/04/2016-CGWB]

R. N. DIXIT, Under Secy.

नई दिल्ली, 12 अक्तूबर, 2017

सा.का.नि. 347.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और जल संसाधन मंत्रालय, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड, **खांचा मशीन ऑपरेटर**, समूह 'ग' पद, भर्ती नियम 2009 की, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड में खांचा मशीन ऑपरेटर (अति कुशल श्रेणी – I) और खांचा

मशीन ऑपरेटर (अति कुशल श्रेणी – II), समूह 'ग' के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ .**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड, खांचा मशीन ऑपरेटर (अति कुशल श्रेणी- I) और खांचा मशीन ऑपरेटर (अति कुशल श्रेणी – II), समूह 'ग' पद, भर्ती नियम 2017 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**— उक्त पदों की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि .**—भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबन्धित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनूसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता** – वह व्यक्ति -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति .**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण है उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. **व्यावृत्ति–** इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर
(1)	(2)	(3)	(4)
1.खांचा मशीन ऑपरेटर (अति कुशल श्रेणी - I)	04* (2017) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, (समूह 'ग') अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 5 (29200 रु.)

चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(5)	(6)	(7)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	**भर्ती की पद्धति :** भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(8)	(9)	(10)
नहीं	लागू नहीं होता	**प्रोन्नति:** खांचा मशीन ऑपरेटर (अति कुशल श्रेणी - II) में से

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
(11)
प्रोन्नति : वेतन मैट्रिक्स में स्तर -4 के खांचा मशीन ऑपरेटर (अति कुशल - II) की श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा पूरी करने पर। **प्रशिक्षण :** स्तर-5 में खांचा मशीन ऑपरेटर – (अति कुशल श्रेणी - I) पर प्रोन्नति के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय भूमिगत जल प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, रायपुर या कोई अन्य राष्ट्रीय स्तर के संस्थान से ड्रिलिंग और सहायक उपस्कर के रख रखाव में दो सप्ताह का प्रशिक्षण अनिवार्य है।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे: 1. निदेशक प्रशासन, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड — अध्यक्ष 2. अधीक्षण इंजीनियर, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड — सदस्य 3. प्रशासनिक अधिकारी, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड — सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

(1)	(2)	(3)	(4)
2. खांचा मशीन ऑपरेटर, (अति कुशल श्रेणी - II)	05* (2017) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, (समूह 'ग'), अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर - 4 (25500 रु.)

(5)	(6)	(7)
लागू नहीं होता	(18 वर्ष से 27 वर्ष के बीच) केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए साधारण अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल करके 40 वर्ष तक की जा सकती है। **टिप्पण 1:** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चंबा जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है। **टिप्पण 2 :** रोजगार कार्यालय के माध्यम से की जाने वाली भर्ती की दशा में आयुसीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है।	**आवश्यक:** (i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन (ii) किसी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से खरादी या मैकेनिक प्रमाणपत्र; और (iii) किसी सरकारी या अर्ध सरकारी या ख्याति प्राप्त निजी संगठन से खांचा मशीन ऑपरेटर या खरादी या मैकेनिक के रूप में तीन वर्ष का अनुभव। **टिप्पण :** अनुभव संबंधी अर्हता(एँ) (उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएँ) केन्द्रीय सरकार के विवेकानुसार अनुसूचित जतियों और अनुसूचित जनजतियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है। जब चयन के किसी प्रक्रम पर केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने कि संभावना नहीं है।

(8)	(9)	(10)
नहीं	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा

(11)
लागू नहीं होता

(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे: 1. निदेशक प्रशासन, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड — अध्यक्ष 2. अधीक्षण इंजीनियर, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड — सदस्य 3. प्रशासनिक अधिकारी, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड — सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

[फा. सं. 23/08/2016- के.भू.ज.बो.]

रामेश्वर नाथ दीक्षित, अवर सचिव

New Delhi, the 12th October, 2017

G.S.R. 347.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Water Resources, the Central Ground Water Board, Slotting Machine Operator, Group 'C' post Recruitment Rules, 2009, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Slotting Machine Operator (Highly Skilled Grade-I) and Slotting Machine Operator (Highly Skilled Grade-II), Group 'C' posts in the Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, Central Ground Water Board, namely:-

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, Central Ground Water Board, Slotting Machine Operator(Highly Skilled Grade-I) and Slotting Machine Operator (Highly Skilled Grade-II), Group 'C' Posts Recruitment Rules, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. **Number of post, classification and Level in Pay Matrix.**—The number of the said post, its classification and Level in the Pay Matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, ag- limit, qualifications, etc.**—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualifications.**—No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in Pay Matrix	Whether selection post or non-selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. **Slotting Machine Operator (Highly Skilled Grade-I)**	04*(2017) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service (Group 'C'), Non-Gazetted, Non-Ministerial.	LEVEL-5 (Rs.29200) in the Pay Matrix.	Not applicable.

Age-limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.
(6)	(7)	(8)
Not applicable	Not applicable	No

Period of probation, if any	Method of recruitment : whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various method
(9)	(10)
Not applicable	**Promotion:** From amongst Slotting Machine Operator (Highly Skilled Grade-II).

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption grade from which promotion or deputation or absorption is to be made
(11)
Promotion: On completion of five years regular service in the grade of Slotting Machine Operator (Highly Skilled Grade-II) in Level-4 in the Pay Matrix. **Training:** Two weeks training in maintenance of drilling and ancillary equipment from Rajiv Gandhi National Ground Water Training and Research Institute, Raipur or any other National level Institute is mandatory for promotion to Slotting Machine Operator (Highly Skilled Grade-I) in Level-5.

If a Departmental Promotion Committee exist, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of:- 1. Director (Administration), Central Ground Water Board – Chairman 2. Superintending Engineer, Central Ground Water Board – Member 3. Administrative Officer, Central Ground Water Board –Member.	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2. Slotting Machine Operator (Highly Skilled Grade-II)	05*(2017) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service (Group 'C'), Non-Gazetted, Non-Ministerial.	LEVEL-4 (Rs.25500) in the Pay Matrix.	Not applicable

(6)	(7)
Between 18 and 27 years. (Relaxable for Government servants upto the age of 40 years in the case of general candidates in accordance with the instructions or order issued by the Central Government). **Note 1 :** The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep). **Note 2:** In case of recruitment made through the Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the Employment Exchange is asked to submit the names.	**Essential:** (i) Matriculation from recognised Board. (ii) Turner or Mechanic certificate from the Industrial Training Institute; and (iii) Three years experience in operation of Slotting Machine or as Turner or Mechanic from Government or Semi- Government or Reputed Private Organisation. **Note :** The qualification(s) regarding experience is relexable at the discretion of the Central Government (for reasons to be recorded in writing) in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the Central Government is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.

(8)	(9)	(10)
No	Two years	Direct recruitment

(11)	(12)	(13)
Not applicable	**Group 'C' Departmental Committee for Confirmation consisting of:—** 1. Director (Administration), Central Ground Water Board – Chairman 2. Superintending Engineer, Central Ground Water Board – Member 3. Administrative Officer, Central Ground Water Board –Member	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

[F. No. 23/08/2016-CGWB]

R. N. DIXIT, Under Secy.

संचार मंत्रालय

(दूरसंचार विभाग)

नई दिल्ली, 6 अक्तूबर, 2017

सा.का.नि. 348.— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और बेतार योजना और समन्वय तथा मोनिट्रिंग संगठन (कनिष्ठ बेतार अधिकारी) भर्ती नियम, 2000 को उन बातों के सिवाए अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है संचार मंत्रालय दूरसंचार विभाग कनिष्ठ बेतार अधिकारी बेतार योजना और समन्वय खंड और मानीटरिंग संगठन के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनातें हैं, अर्थात् :--

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम बेतार योजना और समन्वय तथा निगरानी संगठन (कनिष्ठ बेतार अधिकारी) (समूह ख) भर्ती नियम 2017 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है ।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि .—भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. निरर्हता.—वह व्यक्ति--

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।